राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ)

क्रमांकः एफ89/लक्ष्य/LM-18(03)/2017 दिनांक .04.2024

आदेश

EoDB गाईड लाईन के अंतर्गत State BRAP एवं District BRAP की क्रियान्विति तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 15 के प्रावधान के अंतर्गत नियमित व आकस्मिक/शिकायत आधारित निरीक्षणों की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए विभागीय आदेश क्रमांक एफ89/लक्ष्य/एलएम/18(03)2017 दिनांक 30.06.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान के निरीक्षण मानदण्ड निम्न प्रकार निर्धारित किये जाते है :—

क्र. सं.	फर्मो का विवरण	मासिक निरीक्षण (मानदंड)	वि0वि0
1	*2*	*3*	*4*
1	बाट या माप विनिर्माता	1	कम्प्यूट्रीकरण व्यवस्था द्वारा आवंटित
2	बाट या माप व्यवहारी	2	कम्प्यूट्रीकरण व्यवस्था द्वारा आवंटित
3	बाट या माप मरम्मतकर्ता	1	कम्प्यूट्रीकरण व्यवस्था द्वारा आवंटित
4	पैकर पंजीकृत फर्म	2	कम्प्यूट्रीकरण व्यवस्था द्वारा आवंटित
5	बाट या माप यूजर्स/अन्य इत्यादि	—	शिकायत पर आधारित
6	अन्य फर्मे जिनकी शिकायत विभाग को प्राप्त हो।	शत प्रतिशत	शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में शिकायत को निस्तारित किया जायेगा।

निरीक्षण हेतु निम्नांकित दिशा—निर्देश निर्धारित किये जाते है :—

1. निरीक्षण निर्धारित चैक लिस्ट आदेश दिनांक 10.08.2022 के अनुसार निष्पादित किये जायेगे तथा विभागीय आदेश क्रमांक एफ89(16)/एलएम/बीआरएपी/2016 दिनांक 14.09.2017 के अनुसरण में ऐसे किये गये मूल निरीक्षण प्रतियों को 48 घण्टों की समयावधि में सीआईएस पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेगें।
2. विधिक माप विज्ञान अधिकारी अपना प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करायेगें।
3. किसी माह में अपरिहार्य कारण से निरीक्षण संख्या कम होने पर आगामी माहों में निरीक्षण किये जायेगें तथा सम्पूर्ण केलेण्डर वर्ष में निर्धारित मापदण्ड अनुसार निरीक्षण किये जायेगें। उल्लेखनीय है कि निरीक्षण केवल औपचारिकता के लिए नही बल्कि गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए एवं अधिनियम व नियमों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
4. शिकायत के आधार पर किये गये निरीक्षण आवश्यक रूप से शिकायत प्राप्त होने से 30 दिवस में पूर्ण किये जायेगें एवं निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता को सूचित किया जायेगा।
5. ई —तुलामान पोर्टल पर विकसित MPR आगामी माह की 05 तारीख तक ऑनलाईन अग्रेषित की जायेगी।

RajKaj Ref 6367976

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ)

6. उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान जयपुर के द्वारा माह में कम से कम एक द्वितीयक मानक प्रयोगशाला/कार्यकारी मानक प्रयोगशाला का निरीक्षण किया जाएगा तथा मौके पर शिकायत प्राप्त होने पर ऐसी फर्मो के भी निरीक्षण किये जा सकेंगे। इस निरीक्षण के दौरान निम्नांकित बिन्दुओं की जांच सुनिश्चित करेगे :–

1. मानकों की उपलब्धता एवं सत्यापन।
2. मानको के रिकार्ड का संधारण।
3. अभियोजन सें संबंधित रिकार्ड का संधारण एवं प्रकरणों का निस्तारण।
4. अभिग्रहित बाट या माप का निस्तारण।
5. न्यायिक प्रकरणों की वस्तुस्थिति।
6. प्रयोगशाला हेतु भूमि आवंटन एवं निर्माण प्रगति।
7. स्थानीय प्राप्त शिकायतों के निस्तारण व रिकार्ड संधारण।
8. आरटीआई प्रकरणों के निस्तारण व रिकार्ड संधारण।
9. शिविरों के आयोजन।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

(भास्कर ए. सावंत)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ89/लक्ष्य/LM-18(03)/2017 दिनांक .04.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (प्रकोष्ठ) उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ/उप निदेशक उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री राजीव गुजराल, वरिष्ठ प्राजेक्ट मेनेजर एवं प्रभारी सिंगल विंडो क्लीयेरेंस सिस्टम (SWCS) राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमति आस्था मिश्रा, सहायक प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करावे व कम्प्यूट्रीकरण व्यवस्था द्वारा निरीक्षण आवंटन हेतु मासिक जॉबवर्क कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
6. समस्त विधिक माप विज्ञान अधिकारी, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6367976

Document certified by BHASKAR SAWANT <ps.energy@rajasthan.gov.in>.

प्रमुख शासन सचिव

Digitally Signed by Bhaskar Atmaram Sawant
Designation : Principal Secretary To Government
Date :03-04-2024 05:37:04